

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 438 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 अगस्त 2010—भाद्र 8, शक 1932

उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2010

क्र. एफ-52-2-10-3-38.—यतः विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के कार्यकलापों के कुप्रबंध के संबंध में उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट तथा सामग्री के आधार पर राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी स्थिति उद्भूत हो गई है जिसमें उक्त विश्वविद्यालय का प्रशासन मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के हितों का अपाय किये बिना नहीं चलाया जा सकता है और विश्वविद्यालय के हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 52 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपांतरणों के अध्वधीन रहते हुये, उक्त अधिनियम की धारा 13, 14, 20 से 25, 40, 47, 48, 54 और 67 के उपबन्ध उक्त विश्वविद्यालय को 30 अगस्त, 2010 से लागू होंगे.

No. F-52-2-10-3-38.—WHEREAS on the basis of a report and material which has been made available regarding mismanagement of affairs of the Vikram University, Ujjain, the State Government is satisfied that a situation has arisen in which the administration of the said University can not be carried out in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhinyam, 1973 (No. 22 of 1973), without detriment to the interest of the University and it is expedient in the interest of the University so to do;

Now, THEREORE, in exercise of the powers conferrerd by sub-section (1) of Section 52 of the Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhinyam, 1973 (No. 22 of 1973), the State Government, hereby directs that the provisions of Sections 13, 14, 20 to 25, 40, 47, 48, 54 and 67 of the said Act shall apply to the said University from 30th August, 2010 subject to the modifications specified in the Third Schedule of the said Act.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ओ. पी. तंवर, उपसचिव.